



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 24/2026/D-92

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 313242 दिनांक 08/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Madhu Bansal C/o Paritosh Bansal	श्री परितोष बंसल पुत्र श्री राम स्वरूप बंसल	25	315.00 SQ. METER	JDA	KALPNA NAGAR Sector/Block-H	Name Transfer	जविप्रा की आवासीय योजना कल्पना नगर के भूखण्ड सं. एच-25 क्षे. 315.00 व.मी. की लीजडीड श्री परितोष बंसल पुत्र श्री राम स्वरूप बंसल को दिनांक 17.06.2009 को जारी कर दी गई। श्री परितोष बंसल पुत्र श्री राम स्वरूप बंसल की मृत्यु दिनांक 05.10.2011 को हो गई। श्री परितोष बंसल पुत्र श्री राम स्वरूप बंसल की मृत्यु उपरान्त उनकी सजरा-वंशावली निम्नानुसार है श्रीमती मधु बंसल पत्नी स्व० श्री परितोष बंसल, सुश्री आशिता बंसल पुत्री स्व० श्री परितोष बंसल है। उक्त भूखण्ड



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

का रजिस्टर्ड हक
त्याग के जरिये
सुश्री आशिता
बंसल पुत्री स्व०
श्री परितोष बंसल
द्वारा श्रीमती मधु
बंसल पत्नी स्व०
श्री परितोष बंसल
को दिनांक
03.07.2026 को
कर दिया गया।
आवेदनकर्ता
श्रीमती मधु बंसल
पत्नी स्व० श्री
परितोष बंसल
द्वारा उक्त
भूखण्ड का नाम
हस्तान्तरण हेतु
आवेदन प्रस्तुत
किया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Madhu Bansal C/o Paritosh Bansal को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |